



Court Case No - 306/23.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फा. सं.: NCST/DEV-515/MH/20/2022-ESDW

सेवा में,

श्री यू.जी. वावरे

अनुमंडल वन अधिकारी (सतर्कता),
जिला नाशिक,
कार्यालय उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) पूर्वी नासिक,
शरणपुर पुलिस चौकी के सामने,
त्र्यंबक रोड, नाशिक 422 002,
महाराष्ट्र
ई-मेल: dycfnashikeast@mahaforest.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 03.02.2023 को अपराह्न 12:00 बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. पाचोरा-तहसील स्थित गट न. 18 पर कृषि कार्य करने के मामले में वन विभाग के अधिकारी द्वारा अभ्यावेदक को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में श्री दिपक त्र्यंबक भिल, पोस्ट - लोहारा, तहसील - पाचोरा, जिला - जलगांव, महाराष्ट्र का दिनांक 13.06.2022 का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 08.09.2022.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 18, जनवरी, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

मोहर



Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003